



निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक 3051 / आ0बा0से सुप0भर्ती-1920-4 / 2026-27

दिनांक 24 अक्टूबर, 2026

विज्ञापित

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत भर्ती वर्ष 2026-27 में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर पद पर चयन हेतु चिन्हित रिक्त 31 पदों पर, केवल निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली उत्तराखण्ड में वर्तमान में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सूचित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट <https://wecdukschemes.in> पर सम्बन्धित कार्यकर्तियां अपनी डिजिटल पत्रावली को अद्यतन सूचना के अनुसार दिनांक: 26.10.2026 से दिनांक 25.11.2026 की सांय 05 बजे तक ऑनलाईन अपडेट कर सकती हैं।

रिक्त पदों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना निम्नानुसार है:-

- (1) पदनाम - सुपरवाईजर (समूह 'ग') (2) वेतनमान- 29200-92300 लेवल 05
(3) आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण रोस्टर के अनुसार

पदनाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	योग
सुपरवाईजर	04	0	07	03	17	31

क्षैतिज आरक्षण-शासनादेशानुसार उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के विज्ञापित पदों में से उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित अनारक्षित श्रेणी हेतु 02 पद एवं राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 01 पद के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। परन्तु रोस्टर के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष रोस्टर में निर्धारित दिव्यांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित हेतु निर्धारित प्रतिशत के आधार पर क्षैतिज आरक्षण हेतु उपलब्ध पदों की संख्या शून्य है।

(4) अनिवार्य अर्हता:-

4.1 आयु- आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की आयु भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (दिनांक 01 जुलाई 2026) को न्यूनतम 31 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए।

4.2 अनुभव -चयन प्रक्रिया हेतु कार्यरत ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ही अर्ह होंगी जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (01 जुलाई 2026) को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पद पर 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण कर ली हो।

4.3 शैक्षिक अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

चयन से सम्बन्धित रिक्तियों का विवरण, अर्हता और शर्तें इत्यादि वेबसाइट <https://wecdukschemes.in> पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित हैं। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन एवं SOP का भलीभांति अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(बी0एल0राणा)
निदेशक



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में सर्वाधिक पाठक/प्रसार वाले पृष्ठ में डी.ए.वी.पी. दरों पर दिनांक 26.10.2026 के अंक में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु दो-दो प्रतियों में निदेशालय को प्रमाणित कर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
2. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।


निदेशक



निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 3223/XVII(4)2021-5(28)/2011 दिनांक 17 नवम्बर 2021 एवं उत्तराखण्ड शासन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: I/345507/XVII(4)2025-5(28)2011(e-82317) दिनांक 18 नवम्बर 2025 संशोधन नियमावली एवं शासनादेश संख्या: 123/XXX(2)/2019-30 (01) / 2019 दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण एवं शासनादेश संख्या 124/XXX(2)/2020-53(01)/2001 दिनांक 22 मई 2020 के अनुसार पद आधारित रोस्टर एवं क्षैतिज आरक्षण रोस्टर नीति के प्राविधानानुसार, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत भर्ती वर्ष 2026-27 में, आँगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर चयन हेतु चिन्हित रिक्त 31 पदों पर, केवल निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली उत्तराखण्ड में वर्तमान में कार्यरत आँगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सूचित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट <https://wecdukschemes.in> पर सम्बन्धित कार्यकर्तियां अपनी डिजिटल पत्रावली को अद्यतन सूचना के अनुसार दिनांक: 26.10.2026 से दिनांक 25.11.2026 की सांय 05 बजे तक ऑनलाईन अपडेट कर सकती हैं।

रिक्त पदों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना निम्नानुसार है:-

- i. पदनाम – सुपरवाइजर (समूह 'ग')
- ii. वेतनमान- 29200-92300 लेवल 05
- iii. रिक्त पदों की संख्या – 31

आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण रोस्टर के अनुसार

पदनाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	योग
सुपरवाइजर	04	0	7	03	17	31

iv अन्य महत्वपूर्ण विवरण

1. **क्षैतिज आरक्षण**—शासनादेशानुसार उक्त आँगनवाड़ी कार्यकर्तियों के विज्ञापित पदों में से उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के प्राविधानानुसार उपरोक्त तालिका में दी गई रिक्तियों में से अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों में 02 पद राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित वर्ग हेतु तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के रिक्त पदों में से 01 पद राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित वर्ग हेतु आरक्षित होंगे। परन्तु रोस्टर के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष रोस्टर में निर्धारित दिव्यांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित हेतु निर्धारित प्रतिशत के आधार पर क्षैतिज आरक्षण हेतु उपलब्ध पदों की संख्या शून्य है।



निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



2. अनिवार्य अर्हता:-

2.1 आयु- आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की आयु भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (दिनांक 01 जुलाई 2026) को न्यूनतम 31 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए।

2.2 अनुभव -चयन प्रक्रिया हेतु कार्यरत ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही अर्ह होंगी जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (01 जुलाई 2026) को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पद पर 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण कर ली हो।

2.3 शैक्षिक अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

3. मैरिट के अंकों का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

1	शैक्षिक योग्यता हेतु अधिकतम अंक (हाई स्कूल से स्नात्कोत्तर परीक्षा तक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी हेतु क्रमशः 03, 02 तथा 01 अंक का प्राविधान है।)	12
2	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु अंक	06
3	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राज्य पुरस्कार हेतु अंक	04
4	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त की गयी सेवा के सापेक्ष प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिये अंक	01
5	ऐसी कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि समाजशास्त्र अथवा समाज कार्य अथवा गृह विज्ञान में प्राप्त की हो, को अंक	01

4. आवेदन प्रक्रिया -

4.1 उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत तथा उपरोक्त शर्तों के अनुसार अर्हता धारण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा डिजिटल पत्रावली को अद्यतन किये जाने का कार्य केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। इस संबंध में कोई भी ऑफलाइन दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर चयन की प्रक्रिया डिजिटल पत्रावली में अपलोड की गई सूचना के आधार पर ही मैरिट बनाते हुए पूर्ण की जायेगी।

4.2 उत्तराखण्ड राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अपनी डिजिटल पत्रावली विभागीय वेबसाइट <https://wecdukschemes.in> पर अपलोड की गई हैं, जिसमें चयन प्रक्रिया हेतु वांछित समस्त अभिलेख अपलोड किए गए हैं। जिन कार्यकर्तियों द्वारा पूर्व में अपनी डिजिटल



पत्रावली अपलोड नहीं की गई है, वे कार्यकर्तियाँ भी विज्ञप्ति अवधि में अपने वांछित अभिलेख अपलोड कर अपनी डिजिटल पत्रावली बना सकती हैं।

4.3 अर्ह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा उक्त विभागीय वेबसाइट <https://wecdukschemes.in> पर जाकर अपने आंगनवाड़ी केंद्र आई०डी० में लॉगिन किया जाना होगा तथा अपनी डिजिटल पत्रावली में अपलोड की गई प्रत्येक सूचना का परीक्षण किया जाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई समस्त सूचनाएँ सही तथा समस्त अभिलेख वैधता अवधि में होने चाहिए।

4.4 EWS श्रेणी, यदि लागू हो, के लाभ हेतु सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र, जोकि वैधता अवधि में हो, भी विज्ञप्ति अवधि में ही अपलोड किया जाना होगा।

4.5 संबंधित कार्यकर्ती द्वारा स्वयं की डिजिटल पत्रावली में पूर्व में अपलोड की गई सूचना सही न होने अथवा वैध न होने पर डिजिटल पत्रावली में अपलोड की गई सूचना को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

4.6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा समस्त सूचनाएँ सही पाये जाने पर पोर्टल पर दिये घोषणा पत्र के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर घोषणा पत्र को अपलोड करते हुए डिजिटल पत्रावली को submit बटन पर क्लिक कर अंतिम रूप से जमा किया जाएगा।

4.7 घोषणा पत्र अपलोड कर अंतिम रूप से जमा करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त डिजिटल पत्रावली में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही अपडेशन की अंतिम तिथि के पश्चात वर्तमान विज्ञप्ति द्वारा की जा रही चयन प्रक्रिया हेतु संबंधित कार्यकर्ती की डिजिटल पत्रावली में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4.8 अर्ह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से सुपरवाइजर पद पर चयन की प्रक्रिया उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित SOP के अनुसार संपन्न की जाएगी जिसकी विस्तृत प्रति विभागीय वेबसाइट <https://wecdukschemes.in> पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त वेबसाइट पर SOP का अवलोकन किया जा सकता है।

5. नोट:-

01 रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

02 उपरोक्त विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती निर्धारित समयांतर्गत यदि घोषणा पत्र अपलोड कर डिजिटल पत्रावली का अपडेशन पूर्ण नहीं करती है, तो अंतिम तिथि के बाद में संशोधन के संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा डिजिटल पत्रावली अपडेट करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् पृथक से कोई प्रमाण पत्र/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

03 यदि समिति के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा डिजिटल पत्रावली में गलत तथ्य अथवा गलत अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, तो चयन हेतु सम्बन्धित का दावा समिति द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।



निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



04 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर पद हेतु दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र की लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उपलब्ध कराया गया है। लॉग-इन एवं पासवर्ड की सुरक्षा, समय-समय पर पासवर्ड परिवर्तन तथा इसे किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करना, पूर्णतः सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की जिम्मेदारी होगी। उक्त लॉग-इन से की गई प्रत्येक प्रविष्टि/अपलोड हेतु सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती स्वयं उत्तरदायी होगी।

05 सुपरवाईजर का पद राज्य स्तरीय पद है तथा इनकी सेवायें सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में स्थानान्तरणीय है।

डिजिटल पत्रावली के अपडेशन में किसी भी तकनीकी समस्या हेतु मोबाइल नं०-8859511853/8193991148 से सम्पर्क कर सकते हैं।

आज्ञा से
निदेशक
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।